



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233568  
CG-DL-E-17022022-233568

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]  
No. 131]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 133(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम (1) में 'इन नियमों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार' शब्दों के स्थान पर "अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों में, अनुसूची-I के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची-II

(नियम 9 (1) देखें)

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देश

### 1. पृष्ठभूमि:

(1.1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मंत्रालय' कहा गया है) ने 18 मार्च 2016 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया था। मंत्रालय ने 8 अप्रैल, 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को भी अधिसूचित किया था। चूंकि प्लास्टिक अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का हिस्सा है, इसलिए ये दोनों नियम देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन पर लागू होते हैं।

(1.2) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को प्लास्टिक अपशिष्ट कम उत्पन्न कम करने, प्लास्टिक अपशिष्ट को न फैलाने, स्रोत पर ही अपशिष्ट का अलग भंडारण सुनिश्चित करने और नियमों के अनुसार अपशिष्ट को सौंपने की आज्ञा देते हैं। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों, खुदरा विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी वालों के उत्तरदायित्वों को भी आज्ञापित करते हैं।

(1.3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिए उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) डाला है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) पूर्व-उपभोक्ता और पश्च उपभोक्ता के प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट दोनों पर लागू होगा।

(1.4) ये दिशानिर्देश विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड स्वामियों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में दी गई परिभाषाएं इन दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उल्लिखित होने तक लागू होती हैं।

### 2. प्रभावी होने की तारीख :

ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों से संबंधित चल रही प्रक्रियाओं को इन दिशानिर्देशों के साथ जोड़ा जाएगा।

### 3. परिभाषाएं :

(क) "जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक" से कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से भिन्न ऐसा प्लास्टिक अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो द्वारा प्रमाणित मानकों का अनुपालन करते हुए कोई भी माइक्रो प्लास्टिक, या दृश्य, विशिष्ट या विषाक्त अवशिष्ट, जिसके प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हों, छोड़े बिना विविनिर्दिष्ट समयावधियों में परिवेशी पर्यावरणीय (स्थलीय या जल में) परिस्थितियों में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण अवक्रमण की प्रक्रिया से होकर गुजरता है;

(ख) "ब्रांड स्वामी" से ऐसा व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्री ब्रांड लेबल या व्यापार चिन्ह से कोई वस्तु बेचता है;

(ग) "कैरी बैग्स" (प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि II के अंतर्गत आने वाले - खंड 5.1 (II)) से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट हो सकने योग्य प्लास्टिक सामग्री से बने बैग अभिप्रेत हैं, जिनका उन वस्तुओं को ले जाने या वितरित करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, जिनमें स्वयं ले जाने की सुविधा होती है, किन्तु इसमें ऐसे बैग शामिल नहीं हैं जो पैकेजिंग का एक अभिन्न अंग हो जिसमें उपयोग करने से पहले माल को सील कर दिया जाता है;

(घ) "समय अवसान होने पर निपटान" से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) या अपशिष्ट से तेल या भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण आदि के लिए उपयोग करना शामिल हैं।

(ड.) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)" से उत्पाद के समय अवसान तक पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए एक उत्पादक का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(च) "आयातक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद या प्लास्टिक पैकेजिंग या कैरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के उत्पादों का आयात करता है;

(छ) "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें एक आवश्यक घटक के रूप में एक उच्च बहुलक होता है जैसे पॉलीइथाइलीन टेरैफ्थैलेट, उच्च घनत्व वाला पॉलीइथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व वाला पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइन रेजिन और एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन, पॉलीफेनिलीन ऑक्साइड, पॉली कार्बोनेट, पॉलीब्यूटिलीन टेरैफ्थैलेट जैसी बहु-सामग्री होती हैं;

(ज) "प्लास्टिक पैकेजिंग" से विभिन्न तरीकों से उत्पादों की सुरक्षा, परिरक्षण, भंडारण और परिवहन करने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग करके बनायी गई पैकेजिंग सामग्री अभिप्रेत है।

(झ) "प्लास्टिक शीट" से ऐसी प्लास्टिक शीट अभिप्रेत है जो प्लास्टिक से बनी शीट होती है;

(ञ) "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता" से ऊर्जा के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा) और इसे तेल (अपशिष्ट से तेल), औद्योगिक कम्पोस्टिंग में परिवर्तित करने में लगे पुनर्चक्रणकर्ता और संस्थाएं अभिप्रेत हैं।

(ट) "पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट" से प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के चरण में रिजेक्ट या डिस्कार्ड के रूप में उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट और उत्पादक के अंतिम-उपयोगकर्ता उपभोक्ता तक प्लास्टिक पैकेजिंग के पहुंचने से पहले अस्वीकृत करने और फेंकने सहित उत्पाद की पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(ठ) "पश्च-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट" से अंतिम-उपयोगकर्ता उपभोक्ता द्वारा पैकेजिंग का इच्छित उपयोग पूर्ण होने और अपने आशयित प्रयोजन के लिए और अधिक प्रयोग न किए जाने के पश्चात् उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(ड) "उत्पादक" से कैरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें पैकेजिंग या वस्तु को लपेटने के लिए पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक शीट या समान सामग्री या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग से बने कवर का उपयोग करने वाले उद्योग या व्यक्ति शामिल हैं;

(ढ) "पुनर्चक्रणकर्ता" वे संस्थाएं हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में लगी हुई हैं;

(ण) "पुनर्चक्रण" से अलग-अलग प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्चे माल में नए उत्पादों के उत्पादन के लिए बदलने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(त) "पुनः उपयोग" से किसी वस्तु या संसाधन सामग्री का फिर से उसी उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य के लिए वस्तु की संरचना को बदले बिना उपयोग करना अभिप्रेत है;

(थ) "पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग" से वर्जिन प्लास्टिक के बजाय पुनर्चक्रित प्लास्टिक को, विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाना अभिप्रेत है;

(द) "अपशिष्ट प्रबंधन" से पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीति में प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन में कमी, पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण, खाद बनाना या निपटान करना अभिप्रेत है;

(ध) "अपशिष्ट से ऊर्जा" से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) शामिल है।

#### 4. बाध्यकारी इकाइयां

निम्नलिखित ईकाइयों को विस्तारित उत्पादक दायित्वों और इस अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत रखा जाएगा अर्थात्:

- (i) प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक (पी);
- (ii) सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग और/या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग का आयातक (आई);
- (iii) ब्रांड स्वामी (बीओ) जिसमें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म / मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट / खुदरा श्रृंखला शामिल हैं, जो सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम से भिन्न हैं।
- (iv) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता

#### 5. विस्तारित उत्पादक दायित्व की व्याप्ति

(5.1) निम्नलिखित प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि विस्तारित उत्पादक दायित्व के अंतर्गत आती हैं,

##### (i) कोटि I

सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग

##### (ii) कोटि II

सिंगल लेयर या मल्टीलेयर (विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक के साथ एक से अधिक लेयर) की लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और प्लास्टिक शीट से बने कवर, कैरी बैग, प्लास्टिक सैशे या पाउच

##### (iii) कोटि III

मल्टीलेयर प्लास्टिक पैकेजिंग (प्लास्टिक की कम से कम एक परत और प्लास्टिक भिन्न अन्य सामग्री की कम से कम एक परत)

##### (iv) कोटि IV

पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री के साथ-साथ कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग।

(5.2) प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में विस्तारित उत्पादक दायित्व दिशानिर्देश में निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात् :

- I. पुनः उपयोग
- II. पुनर्चक्रण
- III. पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग
- IV. समय अवसान सीमा होने पर निपटान।

#### 6. रजिस्ट्रीकरण

(6.1) (क) निम्नलिखित संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत होंगी :

- (i) उत्पादक (पी)
- (ii) आयातक (आई)
- (iii) ब्रांड स्वामी (बीओ)

- (iv) प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करणकर्ता जो (क) पुनर्चक्रण, (ख) अपशिष्ट से ऊर्जा, (ग) अपशिष्ट से तेल बनाने और (iv) औद्योगिक कम्पोस्टिंग के काम में लगे हैं,

(ख) उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामियों (एक या दो राज्यों में काम कर रहे) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक दायित्व पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामियों (दो राज्यों से अधिक में काम कर रहे) का रजिस्ट्रीकरण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) इन दिशानिर्देशों के प्रभावी होने के पश्चात् किसी वर्ष विशेष में अपना व्यवसाय शुरू करने और उसी वर्ष में बाजार में अपने उत्पादों को उतारने वाली इकाइयों के संबंध में उनकी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य की बाध्यताएं अगले वर्ष से होंगी।

(6.2) खंड (6.1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए बिना कोई व्यवसाय नहीं करेंगी।

(6.3) खंड (6.1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त रजिस्ट्रीकृत किसी भी इकाई के साथ काम नहीं करेंगी।

(6.4) ऐसे मामले, जिसमें यह पाया या अभिनिर्धारित किया जाता है कि ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किसी इकाई ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दिशानिर्देशों के अधीन रजिस्ट्रीकरण कराते समय गलत सूचना दी है या जानबूझकर सूचना छिपायी है या विविनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में कोई अनियमितता पायी गई या उनसे विचलन किया गया है, तब ऐसी इकाई का रजिस्ट्रीकरण, सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिसंहत कर दिया जाएगा। इकाइयां, जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत कर दिया गया है, प्रतिसंहरण की अवधि तक नया रजिस्ट्रीकरण कराने में समर्थ नहीं रहेंगी।

(6.5) यदि कोई संस्था खंड (6.1) में उल्लिखित एक से अधिक उप-कोटि में आती है, तो ऐसी संस्था उन प्रत्येक उप-कोटियों के अधीन अलग से रजिस्ट्रीकृत होगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, जहां संस्था की खंड 6.1 में उल्लिखित एक विशेष उप-कोटि में अलग-अलग राज्यों में इकाइयां हैं, तो इन इकाइयों को भी अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। तथापि, एक राज्य में एक उपकोटि के अधीन केवल एक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता होगी, भले ही, एक राज्य में एक से अधिक इकाइयां स्थित हों। यह रजिस्ट्रीकरण, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकथित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगा।

(6.6) रजिस्ट्रीकरण करते समय, संस्थाओं को पैन संख्या, जीएसटी संख्या, कम्पनी का सीआईएन संख्या और आधार संख्या और प्राधिकृत व्यक्ति या प्रतिनिधि के पैन संख्या और यथा अपेक्षित कोई अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

## 7. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए लक्ष्य और उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों की बाध्यताएं :

(7.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य कोटि-वार निर्धारित किए जाएंगे।

**(7.2) उत्पादक (पी)****(क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

मीट्रिक टन (पहली तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री (कोटि-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की औसत मात्रा को जोड़ा जाएगा और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में उप-खंड 4 (iii) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा (ग) निम्नानुसार घटाई जाएगी :

$$\text{क्यू 1 (एमटी में)} = (\text{क} + \text{ख}) - \text{ग}$$

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, कोटि-वार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

**सारणी - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य**

|      | वर्ष      | विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य<br>(पहली तिमाही के प्रतिशत के रूप में - कोटि-वार) |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | 2021 - 22 | 25 %                                                                                            |
| II.  | 2022 - 23 | 70 %                                                                                            |
| III. | 2023 - 24 | 100 %                                                                                           |

कोटि-वार मीट्रिक टन में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में उत्पादक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

**(ख) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर निपटान को छोड़कर)

(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य का %)

| प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 और उसके पश्चात् |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| कोटि I                     | 50      | 60      | 70      | 80                      |
| कोटि II                    | 30      | 40      | 50      | 60                      |
| कोटि III                   | 30      | 40      | 50      | 60                      |
| कोटि IV                    | 50      | 60      | 70      | 80                      |

कोटि IV प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर से, औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्टिंग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अभिप्रेत है।

**(ग) समय अवसान सीमा होने पर निपटान (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

(i) केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे समय अवसान सीमा निपटान के लिए समय-समय पर भारतीय सड़क कांग्रेस अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार भेजा जाएगा।

(ii) उत्पादक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(1)(ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो।

**(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)**

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार कोटि-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का आज्ञापक उपयोग

(वर्ष में विनिर्मित प्लास्टिक का %)

| प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 और उसके पश्चात् |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| कोटि I                     | 30      | 40      | 50      | 60                      |
| कोटि II                    | 10      | 10      | 20      | 20                      |
| कोटि III                   | 5       | 5       | 10      | 10                      |

ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक अपेक्षाओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में बाध्यता को पूरा करना संभव नहीं है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी को ऐसे उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक निबंधनों में) के उपयोग की अपनी बाध्यता को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपने बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

**7.3 आयातक (आई)**

**(क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

मीट्रिक टन (दूसरी तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री और/या आयात किए गए उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग (कोटि-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की औसत मात्रा को जोड़ा जाएगा और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में उप-खंड 4(iii) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा में से अपशिष्ट की मात्रा (ग) निम्नानुसार घटाई जाएगी।

$$\text{क्यू 2 (एमटी में)} = (\text{क} + \text{ख}) - \text{ग}$$

और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, कोटि-वार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है, अर्थात् :-

|      | वर्ष      | विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य<br>(दूसरी तिमाही के प्रतिशत के रूप में - कोटि-वार) |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | 2021 - 22 | 25 %                                                                                             |
| II.  | 2022 - 23 | 70 %                                                                                             |
| III. | 2023 - 24 | 100 %                                                                                            |

मीट्रिक टन में कोटि-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में आयातक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

**(ख) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

आयातक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा निपटान को छोड़कर)

(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य का %)

| प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 और उसके पश्चात् से |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|
| कोटि I                     | 50      | 60      | 70      | 80                         |
| कोटि II                    | 30      | 40      | 50      | 60                         |
| कोटि III                   | 30      | 40      | 50      | 60                         |
| कोटि IV                    | 50      | 60      | 70      | 80                         |

कोटि IV प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर से, औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्टिंग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अभिप्रेत है।

**(ग) समय अवसान सीमा पर निपटान (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

(i) केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे मियाद समाप्ति निपटान के लिए समय-समय पर भारतीय सड़क कांग्रेस अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार भेजा जाएगा।

(ii) उत्पादक, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(1)(ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो।

**(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)**

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार कोटि-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का आज्ञापक उपयोग

(वर्ष में आयातित प्लास्टिक का %)

| प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 और उसके पश्चात् |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| कोटि I                     | 30      | 40      | 50      | 60                      |
| कोटि II                    | 10      | 10      | 20      | 20                      |
| कोटि III                   | 5       | 5       | 10      | 10                      |

आयातित सामग्री में प्रयुक्त किसी भी पुनर्चक्रित प्लास्टिक को दायित्व की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा। आयातक को ऐसे उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक निबंधनों में) के उपयोग के अपनी बाध्यता को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपनी बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का

उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

#### 7.4 ब्रांड स्वामी (बीओ)

##### (क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

मीट्रिक टन में (तीसरी तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बाजार में खरीदी और पेश की गई ताजा प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री (कोटि-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में उपभोक्ता पूर्व प्लास्टिक पैकेजिंग की (ख) औसत मात्रा निम्नानुसार जोड़ी जाएगी।

क्यू 3 (एमटी में) = क + ख

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य, कोटि-वार नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किया जाएगा :

|      | वर्ष      | विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य<br>(तीसरी तिमाही के प्रतिशत के रूप में - कोटि-वार) |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | 2021 - 22 | 25 %                                                                                                         |
| II.  | 2022 - 23 | 70 %                                                                                                         |
| III. | 2023 - 24 | 100 %                                                                                                        |

मीट्रिक टन में कोटि-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में ब्रांड स्वामी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

##### (ख) पुनः उपयोग के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 4 और 5 देखें)

I. अपने उत्पादों के लिए कोटि I (सख्त) प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करने वाले ब्रांड स्वामी पर नीचे दिए गए अनुसार ऐसी पैकेजिंग का पुनः उपयोग करने की न्यूनतम बाध्यता होगी।

परंतु कि फूड कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन में कोटि I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः प्रयोग भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के विनियमन के अधीन होगा।

(II) कोटि I (सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग) के लिए पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम बाध्यता।

|      | वर्ष                                                                                                                                 | लक्ष्य (वर्ष में बेचे जाने वाले उत्पाद में कोटि I के सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क    | कोटि I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग यथास्थिति, जिसकी मात्रा या वजन 0.9 लीटर या किग्रा के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किग्रा से कम हो। |                                                                                                     |
| I.   | 2025 - 26                                                                                                                            | 10                                                                                                  |
| II.  | 2026 - 27                                                                                                                            | 15                                                                                                  |
| III. | 2027 - 28                                                                                                                            | 20                                                                                                  |
| IV.  | 2028 - 29 और उसके पश्चात्                                                                                                            | 25                                                                                                  |

| ख    | कोटि I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग जिसका वजन 4.9 लीटर या किग्रा से अधिक या बराबर है। |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.   | 2025 – 26                                                                           | 70 |
| II.  | 2026 – 27                                                                           | 75 |
| III. | 2027 – 28                                                                           | 80 |
| IV.  | 2028 – 29 और उसके पश्चात्                                                           | 85 |

(III) ब्रांड स्वामी द्वारा पुनः उपयोग की जाने वाली सख्त पैकेजिंग की मात्रा की गणना ब्रांड स्वामी की बिक्री से उस वर्ष में निर्मित/आयातित/खरीदी गई ताजा प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करके की जाएगी। ब्रांड स्वामी यह जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा।

(IV) कोटि I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग की पुनः उपयोग की मात्रा को बाध्य संस्थाओं (ब्रांड स्वामी) द्वारा कोटि I के अधीन उपयोग की जाने वाली कुल प्लास्टिक पैकेजिंग से कम किया जाएगा।

III. वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान पुनः उपयोग की गई कोटि I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग की मात्रा कोटि I के अधीन उपयोग की जाने वाली कुल प्लास्टिक पैकेजिंग से कम हो जाएगी।

(ग) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

ब्रांड स्वामी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर किए गए निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर किए गए निपटान को छोड़कर)

(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य का %)

| प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 और उसके पश्चात् |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| कोटि I                     | 50      | 60      | 70      | 80                      |
| कोटि II                    | 30      | 40      | 50      | 60                      |
| कोटि III                   | 30      | 40      | 50      | 60                      |
| कोटि IV                    | 50      | 60      | 70      | 80                      |

कोटि IV प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर से, औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्टिंग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अभिप्रेत है।

(घ) समय अवसान सीमा पर निपटान (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

(i) केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे समय अवसान सीमा निपटान के लिए समय-समय पर भारतीय सड़क कांग्रेस अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार भेजा जाएगा।

(ii) ब्रांड स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(1)(ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो।

**(ड) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए दायित्व (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)**

(i) ब्रांड स्वामी कोटि-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग नीचे दिए अनुसार सुनिश्चित करेगा।

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का आजापक उपयोग

(वर्ष में विनिर्मित प्लास्टिक का %)

| प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 और उसके पश्चात् |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| कोटि I                     | 30      | 40      | 50      | 60                      |
| कोटि II                    | 10      | 10      | 20      | 20                      |
| कोटि III                   | 5       | 5       | 10      | 10                      |

(ii) ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक अपेक्षाओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में बाध्यता को पूरा करना संभव नहीं है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी को ऐसे उत्पादक आयातक ब्रांड स्वामी से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक निबंधनों में) के उपयोग की अपनी बाध्यता को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपनी बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(iii) ऐसे मामले में, जहां ब्रांड स्वामी प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का उत्पादक और/या आयातक भी है, तो खंड 7.2 और 7.3 भी क्रमशः उत्पादक और/या आयातक के रूप में उनके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्यों और बाध्यताओं को निर्धारित करने के लिए लागू होंगे।

(7.5) मीट्रिक टन में कोटि-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, सभी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

(7.6) विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर पुनः उपयोग, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग की बाध्यताओं का पुनर्विलोकन प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाएगा।

(7.7) प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार टिकाऊ पैकेजिंग को बढ़ावा देगा :

(i) पुनः उपयोग को बढ़ावा देने वाली पैकेज डिजाइनिंग,

(ii) पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त पैकेज डिजाइनिंग,

(iii) प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री में पुनर्चक्रित प्लास्टिक मात्रा और (iv) पर्यावरण के लिए पैकेज डिजाइनिंग।

(7.8) यदि बाध्य संस्था ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करती है जो परिवेशी वातावरण में 100% जैव अपघटनीय है, और उसका स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई सूक्ष्म प्लास्टिक या रासायनिक अवशेष या कोई भी अन्य निशान नहीं रहता है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, केन्द्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा प्रमाणित है। ऐसी सामग्री के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य लागू नहीं होगा।

8. अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों को बनाना, पिछले वर्ष के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों और दायित्वों की तुलना में अग्रेषित और मुजरा करना, और अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद करना

(8.1) ऐसा ब्रांड स्वामी जिसने अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्यों को कोटि-वार पूरा कर लिया है, निम्नलिखित के लिए अधिशेष का उपयोग कर सकता है, अर्थात् :-

- (i) खंड 9.5 के अधीन पिछले वर्ष की कमी की मुजराई,
- (ii) आगामी वर्ष में उपयोग के लिए अग्रेषित करना
- (iii) इसे अन्य उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों को बेचना

(8.2) एक कोटि में अधिशेष का उपयोग केवल उसी कोटि में मुजराई, अग्रेषण और बिक्री के लिए किया जा सकता है। पुनः उपयोग के अंतर्गत अधिशेष का उपयोग पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और समय अवसान सीमा होने पर निपटान के लिए उपरोक्त के लिए किया जा सकता है। पुनर्चक्रण के अंतर्गत अधिशेष का उपयोग पुनर्चक्रण और समय अवसान सीमा होने पर निपटान के लिए किया जा सकता है। समय अवसान सीमा होने वाले किसी अधिशेष का पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(8.3) कोई उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी उसी कोटि के अन्य उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों से अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदकर एक कोटि के अधीन अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता को भी पूरा कर सकता है।

(8.4) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे के अंतर्गत वार्षिक विवरणी फाइल करते समय ऐसे संव्यवहार को उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अभिलिखित और प्रस्तुत किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीकृत पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

## 9. पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण

(9.1) पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के प्रयोजन के लिए उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा ईपीआर लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के संबंध में 'प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान' के सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की जाएगी।

(9.2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दिशानिर्देशों में संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा निर्धारित बाध्यताओं को पूरा न करने के मामले में उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और मियाद समाप्ति निपटान करने वाले प्रसंस्करणकर्ता पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधिरोपण और संग्रहण के लिए दिशानिर्देश अधिकथित करेगा और इन्हें अधिसूचित किया जाएगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति संबंधी दिशानिर्देशों को अपेक्षित अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

(9.3) इन दिशानिर्देशों में संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्यों, उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं को पूरा न करने के संबंध में दो से अधिक राज्यों में संचालित उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति, यथा लागू, उद्गृहीत की जाएगी।

(9.4) पर्यावरण क्षतिपूर्ति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उनकी अधिकारिता में काम कर रहे उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (दो से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता जिसमें पुनर्चक्रणकर्ता और अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता - अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं पर उस स्थिति में लगाया जाएगा, जब वे इन दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित किए गए अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्यों/उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं को पूरा नहीं करते हैं। यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति उचित समय पर कार्रवाई नहीं करती है तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश जारी करेगा।

(9.5) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक इन दिशानिर्देशों में निर्धारित बाध्यता से मुक्त नहीं होगा। किसी विशेष वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता अगले वर्ष के लिए तीन वर्ष

की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे मामले में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को पश्चातवर्ती के वर्षों के भीतर तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाता है। लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को निम्नानुसार वापस कर दी जाएगी, अर्थात् :-

- (i) इसी लगाने के एक वर्ष के भीतर : 75% रिटर्न
- (ii) दो वर्ष के भीतर 60% रिटर्न
- (iii) तीन वर्ष के भीतर 40% रिटर्न

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के देय होने पर 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात् पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की पूरी रकम अभिग्रहण कर ली जाएगी। यह व्यवस्था पश्चातवर्ती वर्षों में भी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण की अनुमति देगी।

(9.6) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधीन एकत्र की गई निधि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। एकत्र की गई निधि का उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के असंग्रहीत और गैर-पुनर्चक्रित या मियाद समाप्ति निपटान के संग्रहण और पुनर्चक्रण/मियाद समाप्ति में उपयोग किया जाएगा, जिस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वार्षिक आधार पर निधियों के उपयोग के तौर-तरीकों की सिफारिश विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी और इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।

## 10. उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की भूमिका

(10.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल का उपयोग करके जारी किया जाएगा।

(10.2) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य, श्रेणी-वार जहां लागू हो, पर जानकारी युक्त कार्य योजना प्रदान करेगा। यह कार्य योजना प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण की अवधि को कवर करेगी। रजिस्ट्रीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और कार्य योजना प्रोफॉर्म इन दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा।

(10.3) खंड 4(iii) के अधीन आने वाला ब्रांड मालिक किसी उत्पादक और/या आयातक से खरीदी गई प्लास्टिक पैकेजिंग का विवरण खंड 4(i) और 4(ii) के अधीन अलग से प्रदान करेगा। ब्रांड मालिक पर लागू होने वाला खंड 4(i) और 4(ii) के अधीन आने वाले प्रत्येक उत्पादक और आयातक के लिए मात्रा को उत्पादक और आयातक की बाध्यता से घटाया जाएगा। ब्रांड मालिक द्वारा खरीदी गई श्रेणी-वार मात्रा सहित ऐसी खरीद का रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा।

(10.4) खंड 4(i) और 4(ii) के अधीन आने वाले उत्पादक और आयातक खंड 4(iii) के अधीन आने वाले ब्रांड मालिक को उपलब्ध कराई गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा। श्रेणीवार विक्रीत मात्रा सहित ऐसे विक्रय का रिकॉर्ड उत्पादक और आयातक द्वारा अलग-अलग रखा जाएगा। यदि ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते हैं, तो उन्हें पूरा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता पूरा करना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के बीच संव्यवहार की घोषणा को क्रॉस-चेक करेगा।

(10.5) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्याताओं को सीधे पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक अलग अपशिष्ट धारा विकसित करने के लिए, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक जमा

वापसी प्रणाली या पुनः खरीद (बाय बैक) या कोई अन्य मॉडल जैसी योजना संचालित कर सकता है। यह कदम प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिलाने से रोकेगा।

(10.6) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून (अप्रैल-विलोपित) तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित प्रोफार्मा के अनुसार संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए एकत्र और प्रसंस्कृत प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा। पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पुनः उपयोग और/या पुनर्चक्रित सामग्री के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। उन रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं का विवरण भी दिया जाएगा जिनसे पुनर्चक्रित प्लास्टिक की खरीद की गई है।

**11. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिका (औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं सहित पुनर्चक्रणकर्ता या अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता) :**

(11.1) सभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंध 13(3) के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन के तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया अधिकथित करेगा।

(11.2) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर विहित प्रोफार्मा के अनुसार प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा की श्रेणी-वार वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

(11.3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत और उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक की प्लास्टिक अपशिष्ट की कुल मात्रा, वार्षिक आधार पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(11.4) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी झूठी है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे के अधीन संचालन से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(11.5) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग के मामले को छोड़कर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। ऐसे मामले में जहां सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित प्रोफार्मा में एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यताओं को पूरा करने के लिए केवल रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(11.6) प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा। किसी भी मामले में, उद्यम द्वारा पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा उद्यम की स्थापित क्षमता से अधिक नहीं होगी। प्रमाण पत्र प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी-वार होंगे और इसमें उद्यम का जीएसटी डेटा सम्मिलित होगा।

(11.7) रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकृत उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक या स्थानीय अधिकारियों के नाम पर, जैसा लागू हो, सहमत तौर-तरीकों के आधार पर होना चाहिए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऐसे प्रमाण पत्र को केंद्रीकृत पोर्टल पर जारी करने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(11.8) प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मियाद समाप्ति पर निपटान अर्थात् अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टे (सह प्रसंस्करण) का कार्य करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर वार्षिक आधार पर विहित प्रोफॉर्मा के अनुसार जानकारी प्रदान करेंगे। ये संस्थाएं पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ रीति से नियामक निकायों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों, सुसंगत नियमों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित करेंगी।

## 12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका

(12.1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दो से अधिक राज्यों में काम कर रहे उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अधीन पीआईबीओ के रजिस्ट्रीकृत के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विहित करेगा।

(12.2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही के लिए फीस और विवरणी की कार्यवाही के लिए वार्षिक फीस ले सकता है। ऐसे मामले में, जहां उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति की अधिकारिता में काम कर रहे हैं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस प्रकार तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ आवेदन फीस साझा कर सकता है।

(12.3) रजिस्ट्रीकरण, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा ऑनलाइन पूर्ण आवेदन जमा करने के दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण की अवधि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार होगी।

(12.4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी नामनिर्दिष्ट अभिकरण, जैसा भी उचित समझा जाएगा, के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के अनुपालन का सत्यापन करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवश्यकतानुसार, निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर के अनुपालन का सत्यापन भी कर सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काम करने वाले पीआईबीओ के मामले में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि आवश्यक हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। (12.5)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक की सूची प्रकाशित करेगा जो अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर तक वार्षिक आधार पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य और बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं।

(12.6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं की पूर्ति में अंतर्वलित पणधारियों के मध्य नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

(12.7) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के अंश का अवधारण करने के लिए एकत्रित मिश्रित नगरीय अपशिष्ट का संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगा।

(12.8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशेष रूप से खंड 7.6 के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकियों की समीक्षा करेगा।

### 13. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति की भूमिका

(13.1) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (एक या दो राज्यों में कार्यरत) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करेगी। रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, स्वयं या नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार अपनी अधिकारिता में उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के साथ-साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के अनुपालन को सत्यापित करती है।

(13.2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, उन संस्थाओं (अपवाद रिपोर्ट) की सूची प्रस्तुत करेगा जिन्होंने वार्षिक आधार पर अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति अपनी अधिकारिता में उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी और उसे ऑनलाइन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(13.3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं को पूरा करने में अंतर्वर्तित सुसंगत पणधारियों के मध्य नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी।

(13.4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के अंश का अवधारण करने के लिए एकत्र किए गए मिश्रित नगरीय अपशिष्ट का एक संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगी।

### 14. उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली

(14.1) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यताओं को पूरा करते हुए प्लास्टिक की श्रेणी के आधार पर आवश्यकतानुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण के बुनियादी ढांचे का विकास कर सकता है। इसमें उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा अपनाए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के आधार पर निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं:

- (क) अपशिष्ट प्लास्टिक संग्रहण केन्द्रों और सामग्री रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ) स्थापित करना;
- (ख) संग्रहण केन्द्रों से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित करना, इसमें ऐसी आवृत्ति होनी चाहिए जो आच्छादित किए गए क्षेत्र और मात्रा के अनुपात में है;
- (ग) यूएलबी, ग्राम पंचायतों, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों या अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले तीसरे पक्ष जैसी संस्थाओं से प्लास्टिक के संग्रहण की पेशकश करना, और उन सभी संस्थाओं से संग्रहण के लिए व्यवस्था प्रदान करना जिन्होंने उस प्रस्ताव का उपयोग किया है; संग्रहण और परिवहन के लिए आवश्यक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान करना;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण केन्द्रों से एकत्र किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पश्चात्कर्तृ किसी पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा एक रजिस्ट्रीकृत सुविधा में पुनर्चक्रण के अधीन किया जाता है या सम्मानजनक रीति से इसके अंतिम उपयोग की अनुमति दी जाती है।

(14.2) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक यह सुनिश्चित करें कि संग्रहण केन्द्रों का नेटवर्क जनसंख्या के आकार, प्लास्टिक या पैकेजिंग अपशिष्ट की अपेक्षित मात्रा, पहुंच और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा जहां संग्रहण और पश्चात् का प्रबंधन लाभदायक है।

(14.3) अपशिष्ट संग्रहण में अंतर्वर्तित संस्थाएं अपशिष्ट को शोधन और पुनर्चक्रण या पहचान किए गए अंतिम उपयोग हेतु सौंप देंगी।

(14.4) स्वैच्छिक संग्रहण केन्द्रों की भागीदारी - स्वैच्छिक संग्रहण केन्द्र प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को उनके शोधन और पुनर्चक्रण या उनके पहचाने गए अंतिम उपयोग की दृष्टि से पीआईबीओ या उनकी ओर से कार्य करने वाली तृतीय पक्ष अभिकरणों को सौंप देंगे।

## 15. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दायित्वों की पूर्ति

उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक को ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक मियाद समाप्ति के लिए भेजी गई मात्रा के विवरण के साथ केवल रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से प्राप्त पुनर्चक्रण प्रमाण पत्र का विवरण प्रदान करना होगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विवरण की ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जांच की जाएगी। अंतर के मामले में, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यता को पूरा करने के लिए निचले/कम आंकड़े पर विचार किया जाएगा। ऐसे प्रमाणपत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, यथास्थिति, द्वारा सत्यापन के अधीन होंगे।

## 16. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल

(16.1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्पादक, आयातक रजिस्ट्रीकरण और ब्रांड मालिक, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ तारीख 31 मार्च 2022 तक विवरणियां (त्रैमासिक या वार्षिक) दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली तंत्र स्थापित करेगा:-

(16.2) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, प्लास्टिक पैकेजिंग के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ विवरणियां (त्रैमासिक/वार्षिक) दाखिल करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गई ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा ऐसा कार्य तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा जिसके अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के विनिर्माता और पीआईबीओ द्वारा बाजार में लाए गए प्लास्टिक पैकेजिंग का सामग्री संतुलन परिलक्षित होता है। यह पीआईबीओ और प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ताओं/अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की लेखा परीक्षा के बारे में विवरण भी दिखलाएगा।

(16.3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति भी पीआईबीओ के रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ पुनर्चक्रणकर्ताओं/अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक ही वेब पोर्टल का उपयोग करेंगी। यह वेब पोर्टल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों और दिशानिर्देशों के संबंध में एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा। पीआईबीओ, यदि वे चाहें, तो ऑनलाइन वेब पोर्टल या प्लेटफॉर्म के विकास की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

(16.3) ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित होने तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन से संबंधित सभी क्रियाकलापों को ऑफलाइन रीति से संचालित किया जाएगा।

## 17. निगरानी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के उत्पादक सम्मिलित हैं) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पूर्ति के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे। यह रिपोर्ट प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अधीन गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति को भी प्रस्तुत की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्चक्रण/मियाद समाप्ति के निपटान के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अगले वर्ष की 31 जुलाई तक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

## 18. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के लिए समिति

(18.1) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देशों में संशोधन सहित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपायों की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेगी। इस समिति को ऑनलाइन पोर्टल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण का कार्य भी सौंपा जाएगा, जिसमें अपेक्षित प्ररूपों/प्रोफॉर्मों को अनुमोदित देना भी सम्मिलित है।

(18.2) इस समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जैसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ, केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट), राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और तीन औद्योगिक संघों, समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किए गए अनुसार कोई भी अन्य आमंत्रित व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

## उपाबंध

### खंड 7 के उदाहरण

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्य और प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर [खंड 7.2 (क), (ख) और (ग), खंड 7.3 (क), (ख) और (ग), और खंड 7.4 (क), (ख) और (ग) देखें]

### उदाहरण 1 :

| वर्ष 2022-23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)                      | 100 मीट्रिक टन                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70% की दर से ईपीआर लक्ष्य                                                                                   | 70 मीट्रिक टन                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ईपीआर के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर की दर से कोई सीमा विहित नहीं है | वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए और पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा<br>वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा और ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए उपयोग की गई मात्रा |

### उदाहरण 2 :

| वर्ष 2024-25                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)          | 100 मीट्रिक टन                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100% की दर से ईपीआर लक्ष्य                                                                      | 100 मीट्रिक टन                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ईपीआर के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर 30 प्रतिशत की दर से | ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए कम से कम 30 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है।<br><br>एकत्रित किए गए शेष प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (अधिकतम 70 मीट्रिक टन) का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है। |

**उदाहरण 3 :**

| वर्ष 2028-29                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)          | 100 मीट्रिक टन                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100% की दर से ईपीआर लक्ष्य                                                                      | 100 मीट्रिक टन                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ईपीआर के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर 60 प्रतिशत की दर से | ईपीआर के अधीन एकत्र किए गए कम से कम 60 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है।<br><br>एकत्रित किए गए शेष प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (अधिकतम 40 मीट्रिक टन) का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है। |

**पुनः उपयोग****[खंड 7.4 (ख) का संदर्भ लें]****उदाहरण 4 :**

| वर्ष 2025-26 (पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम बाध्यता लागू होती है)                                                                                    |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| बाजार में श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग पेश की गई (श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग)                                                             | 100 मीट्रिक टन                                                                   |
| श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग की मात्रा 0.9 लीटर या किलोग्राम के वजन या आयतन के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम | 15 मीट्रिक टन<br>(पुनः उपयोग 15% की दर से पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम दायित्व 10%) |
| पेश की गई नई प्लास्टिक पैकेजिंग (क)                                                                                                              | 85 मीट्रिक टन                                                                    |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (क) के 100% अनुपालन के लिए ईपीआर लक्ष्य                                                              | 85 मीट्रिक टन                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60% की दर से ईपीआर के अधीन एकत्रित श्रेणी I प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर | ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के न्यूनतम 51 मीट्रिक टन को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है।<br><br>एकत्रित किए गए अधिकतम 34 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है। |

**उदाहरण 5 :**

|                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2022-23 के लिए</b>                                                                                                                               |                 |
| बाजार में श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग पेश की गई (श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग)                                                                | 100 मीट्रिक टन  |
| श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग की मात्रा या 0.9 लीटर या किलोग्राम के वजन या आयतन के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम | 10 मीट्रिक टन   |
| पेश की गई नई प्लास्टिक पैकेजिंग (क)                                                                                                                 | 90 मीट्रिक टन   |
| (क) के 35% अनुपालन के लिए ईपीआर लक्ष्य                                                                                                              | 31.5 मीट्रिक टन |

**पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग****[खंड 7.2 (घ), 7.3 (घ) का संदर्भ लें]****उदाहरण 6 :**

|                                                                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>वर्ष 2025-26</b>                                                                    |                                                                                                                                          |
| बाजार में श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग पेश की गई (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग) | 100 मीट्रिक टन                                                                                                                           |
| खण्ड 5.1 के अनुसार ईपीआर लक्ष्य 100% की दर से                                          | 100 मीट्रिक टन                                                                                                                           |
| पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक की न्यूनतम मात्रा 10% की दर से                      | पैकेजिंग में 10 मीट्रिक टन प्लास्टिक सामग्री को पुनर्चक्रित प्लास्टिक होना चाहिए।<br>पैकेजिंग में 90 मीट्रिक टन वर्जिन प्लास्टिक सामग्री |

[फा. सं. 17/2/2001-पार्ट I-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) सा.का.नि. 320 (अ) दिनांक 18 मार्च, 2016 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 285 (अ) दिनांक 27 मार्च, 2018, सा.का.नि. 571 (अ) दिनांक 12 अगस्त 2021 और सा.का.नि. 647 (अ) दिनांक 17 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

**G.S.R. 133(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (1), for the words “as per guidelines issued under these rules from time to time”, the words “as per guidelines specified in SCHEDULE – II” shall substituted.
3. In the said rules, after SCHEDULE – I, the following Schedule shall be inserted namely:-

**‘SCHEDULE-II***[See Rule 9 (1)]***Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging****1. Background:**

(1.1) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), (hereinafter referred to as ‘The Ministry’), notified the Plastic Waste Management Rules, 2016 on 18<sup>th</sup> March, 2016. The Ministry also notified the Solid Waste Management Rules, 2016 on 8<sup>th</sup> April, 2016. As plastic waste is part of solid waste, therefore, both the rules apply to managing plastic waste in the country.

(1.2) The Plastic Waste Management Rules, 2016, mandate the generators of plastic waste to take steps to minimize generation of plastic waste, not to litter the plastic waste, ensure segregated storage of waste at source and hand over segregated waste in accordance with rules. The rules also mandate the responsibilities of local bodies, gram panchayats, waste generators, retailers and street vendors to manage plastic waste. (1.3) The Plastic Waste Management Rules, 2016 cast Extended Producer Responsibility on Producer, Importer, and Brand Owner. Extended Producer Responsibility shall be applicable to both pre-consumer and post-consumer plastic packaging waste. (1.4) These guidelines provides framework for implementation of Extended Producer Responsibility. The Guidelines provide the roles and responsibilities of Producers, Importers, Brand Owners, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board or Pollution Control Committees, recyclers and waste processors for effective implementation of Extended Producer Responsibility. The definitions given in Plastic Waste Management Rules, 2016, apply until, specifically mentioned in these guidelines;

**2. Date of Coming into Effect:**

These guidelines shall come into force with immediate effect. The on-going processes related to Extended Producer Responsibility obligations will be aligned with these guidelines.

**3. Definitions:**

(a) **“Biodegradable plastics”** means that plastics, other than compostable plastics, which undergoes complete degradation by biological processes under ambient environment (terrestrial or in water) conditions, in specified time periods, without leaving any micro plastics, or visible, distinguishable or toxic residue, which have adverse environment impacts, adhering to laid down standards of Bureau of Indian Standards and certified by Central Pollution Control Board.

(b) **“Brand Owner”** means a person or company who sells any commodity under a registered brand label or trade mark;

(c) **“Carry Bags”** (covered under Category II of plastic packaging – Clause (5.1) (II)) means bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self-carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use ;

(d) **“End of Life disposal”** means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns) or waste to oil or for road construction as per Indian Road Congress guidelines, etc;

(e) **“Extended Producer Responsibility”** means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;

- (f) **“Importer”** means a person who imports plastic packaging product or products with plastic packaging or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like;
- (g) **“Plastic”** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, polybutylene terephthalate;
- (h) **“Plastic Packaging”** means packaging material made by using plastics for protecting, preserving, storing and transporting of products in a variety of ways.
- (i) **“Plastic Sheet”** means plastic sheet is the sheet made of plastic;
- (j) **“Plastic Waste Processors”** means recyclers and entities engaged in using plastic waste for energy (waste to energy), and converting it to oil (waste to oil), industrial composting.
- (k) **“Pre-consumer plastic packaging waste”** means plastic packaging waste generated in the form of reject or discard at the stage of manufacturing of plastic packaging and plastic packaging waste generated during the packaging of product including reject, discard, before the plastic packaging reaches the end-use consumer of the product.
- (l) **“Post-consumer plastic packaging waste”** means plastic packaging waste generated by the end-use consumer after the intended use of packaging is completed and is no longer being used for its intended purpose.
- (m) **“Producer”** means person engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;
- (n) **“Recyclers”** are entities who are engaged in the process of recycling of plastic waste;
- (o) **“Recycling”** means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;
- (p) **“Reuse”** means using an object or resource material again for either the same purpose or another purpose without changing the object's structure;
- (q) **“Use of recycled plastic”** means recycled plastic, instead of virgin plastic, is used as raw material in the manufacturing process;
- (r) **“Waste Management”** means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally sound manner;
- (s) **“Waste to Energy”** means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns).

#### 4. Obligated Entities:

The following entities shall be covered under the Extended Producer Responsibility obligations and provisions of these guidelines namely: -

- (i) Producer (P) of plastic packaging;
- (ii) Importer (I) of all imported plastic packaging and / or plastic packaging of imported products;
- (iii) Brand Owners (BO) including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than those, which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.;
- (iv) Plastic Waste Processors

#### 5. Coverage of Extended Producer Responsibility:

(5.1) The following plastic packaging categories are covers under Extended Producer Responsibility:

##### (i) Category I

Rigid plastic packaging;

##### (ii) Category II

Flexible plastic packaging of single layer or multilayer (more than one layer with different types of plastic), plastic sheets or like and covers made of plastic sheet, carry bags, plastic sachet or pouches;

##### (iii) Category III

Multilayered plastic packaging (at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic);

(iv) **Category IV**

Plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags made of compostable plastics.

(5.2) The Extended Producer Responsibility Guidelines covers the following with respect to plastic packaging namely: -

- (i) Reuse;
- (ii) Recycling;
- (iii) Use of recycled plastic content;
- (iv) End of life disposal.

**6. Registration:**

(6.1) (a) The following entities shall register on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board namely: -

- (i) Producer (P);
- (ii) Importer (I);
- (iii) Brand owner (BO);
- (iv) Plastic Waste Processor engaged in (a) recycling, (b) waste to energy, (c) waste to oil, and (iv) industrial composting,

(b) Registration of Producers, Importers & Brand-Owners (operating in one or two states) and Plastic Waste processors shall be done by State Pollution Control Board or Pollution Control Committee through the centralized Extended Producer Responsibility portal developed by Central Pollution Control Board.

(c) After these guidelines have come into effect, with respect to, entities starting their business in a particular year and placing their products in market in that year, they shall have Extended Producer Responsibility target obligations from the next year.

(6.2) The entities covered under clause 6.1 shall not carry any business without registration obtained through on-line centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(6.3) The entities covered under clause (6.1) shall not deal with any entity not registered through on-line centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(6.4) In case, it is found or determined that any entity registered on the on-line portal has provided false information or has willfully concealed information or there is any irregularity or deviation from the conditions stipulated while obtaining registration under Extended Producer Responsibility guidelines, then the registration of such an entity would be revoked for a one -year period after giving an opportunity to be heard. The entities whose registration has been revoked shall not be able to register afresh for the period of revocation.

(6.5) In case any entity falls in more than one sub-category mentioned in the clause (6.1) then the entity shall register under each of those sub-categories separately. Further, in cases, where the entity has units in different states, in a particular sub-category mentioned in clause 6.1, then these units shall also be registered separately. However, only one registration under a sub category in a state would be needed, even if, more than one unit are located in a state. The registration shall be as per Standard Operating Procedure laid down by Central Pollution Control Board for the purpose, as per these Guidelines.

(6.6) While registering, the entities shall have to provide PAN Number, GST Number, CIN Number of the company and Aadhar Number and PAN Number of authorized person or representative and any other necessary information as required.

**7. Targets for Extended Producer Responsibility and obligations of Producers, Importers & Brand-Owners:**

(7.1) The Extended Producer Responsibility targets for the Producers, Importers & Brand-Owners shall be determined category-wise.

**(7.2) Producer (P):**

**(a) Extended Producer Responsibility target (Refer example 1 to 3 in Annexure):**

Eligible Quantity in MT (Q 1) shall be the average weight of plastic packaging material (category-wise) sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer plastic packaging waste in the last two financial years (B) minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial year as under: -

$$Q\ 1\ (\text{in MT}) = (A + B) -$$

and the Extended Producer Responsibility target shall be determined category-wise , as given below

**Extended Producer Responsibility target**

|            | Year             | Extended Producer Responsibility target<br>(as a percentage of Q1 - category-wise) |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>2021 - 22</b> | <b>25 %</b>                                                                        |
| <b>II</b>  | <b>2022 - 23</b> | <b>70 %</b>                                                                        |
| <b>III</b> | <b>2023 - 24</b> | <b>100 %</b>                                                                       |

The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by Producer, as part of Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

**(b) Obligation for recycling (Refer example 1 to 3 in Annexure):**

The Producer shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility Target, category-wise, as given below namely: -

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste  
(% of Extended Producer Responsibility Target)

| Plastic packaging category | 2024-25   | 2025-26   | 2026-27   | 2027-28 and onwards |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Category I</b>          | <b>50</b> | <b>60</b> | <b>70</b> | <b>80</b>           |
| <b>Category II</b>         | <b>30</b> | <b>40</b> | <b>50</b> | <b>60</b>           |
| <b>Category III</b>        | <b>30</b> | <b>40</b> | <b>50</b> | <b>60</b>           |
| <b>Category IV</b>         | <b>50</b> | <b>60</b> | <b>70</b> | <b>80</b>           |

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

**(c) End of life disposal (refer examples 1 to 3 in Annexure):**

(i) Only those plastics, which cannot be recycled will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil, cement kilns (for co processing) etc. as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress or Central Pollution Control Board from time to time.

(ii) The producers shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies specified in Rule 5 (1) (b) of Plastic Waste Management Rules, 2016,

**(d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)**

The Producer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below namely: -

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging  
(% of plastic manufactured for the year)

| Plastic packaging category | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 and onwards |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| Category I                 | 30      | 40      | 50      | 60                  |
| Category II                | 10      | 10      | 20      | 20                  |
| Category III               | 5       | 5       | 10      | 10                  |

In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory requirements, the exemption will be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis. However, in such cases, the Producers, Importers & Brand-Owners will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers & Brand-Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

### 7.3 Importer (I):

#### (a) Extended Producer Responsibility Target (Refer example 1 to 3 in Annexure)

Eligible Quantity in MT (Q 2) shall be the average weight of all plastic packaging material and / or plastic packaging of imported products (category-wise) imported and sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer plastic packaging in the last two financial years (B) waste minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial years as under: -

$$Q\ 2\ (\text{in MT}) = (A + B) - C$$

and the Extended Producer Responsibility target shall be determined, category-wise, as given below namely: -

|     | Year      | Extended Producer Responsibility target<br>(as a percentage of Q 2 - category-wise) |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | 2021 - 22 | 25 %                                                                                |
| II  | 2022 - 23 | 70 %                                                                                |
| III | 2023 - 24 | 100 %                                                                               |

The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by Importer as part of Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

#### (b) Obligation for recycling (Refer example 1 to 3 in Annexure)

The Importer shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under extended producer responsibility Target, category-wise, as given below.

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste  
(% of extended producer responsibility Target)

| Plastic packaging category | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 and onwards |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| Category I                 | 50      | 60      | 70      | 80                  |
| Category II                | 30      | 40      | 50      | 60                  |
| Category III               | 30      | 40      | 50      | 60                  |
| Category IV                | 50      | 60      | 70      | 80                  |

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

#### (c) End of life disposal (refer examples 1 to 3 in Annexure)

(i) Only those plastics, which cannot be recycled will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress or Central Pollution Control Board from time to time.

(ii) The importer shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies specified in rule 5 (1) (b) of Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended.

**(d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)**

The Importer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below.

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of imported plastic for the year)

| Plastic packaging category | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 and onwards |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| Category I                 | 30      | 40      | 50      | 60                  |
| Category II                | 10      | 10      | 20      | 20                  |
| Category III               | 5       | 5       | 10      | 10                  |

Any recycled plastic used in imported material shall not be counted towards fulfilment of obligation. The importer will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers & Brand-Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

**7.4 Brand Owner (BO):**

**a) Extended Producer Responsibility target (refer examples 1 to 3 in Annexure)**

Eligible Quantity in MT (Q 3) shall be the average weight of virgin plastic packaging material (category-wise) purchased and introduced in market in the last two financial years (A) plus average quantity of (B) of pre-consumer plastic packaging in the last two financial years as under: -

Q 3 (in MT) = A + B

The Extended Producer Responsibility target shall be determined, category-wise, as given below namely: -

|            | Year             | Extended Producer Responsibility Target<br>(as a percentage of Q3 - category-wise) |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>2021 - 22</b> | <b>25 %</b>                                                                        |
| <b>II</b>  | <b>2022 - 23</b> | <b>70 %</b>                                                                        |
| <b>III</b> | <b>2023 - 24</b> | <b>100 %</b>                                                                       |

The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by Brand Owner as part of the Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

**(b) Obligation for reuse (refer examples 4 and 5 in Annexure):**

**I.** The Brand Owner using Category I (rigid) plastic packaging for their products shall have minimum obligation to reuse such packaging as given below: -

Provided that the reuse of Category I rigid plastic packaging in food contact applications shall be subject to regulation of Food Safety and Standards Authority of India.

(II) Minimum obligation to reuse for Category I (rigid plastic packaging).

|  | Year | Target (as percentage of Category I rigid plastic packaging in products sold annually) |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A   | Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 liter or kg but less than 4.9 litres or kg, as the case may be |    |
| I   | 2025 – 26                                                                                                                                      | 10 |
| II  | 2026 – 27                                                                                                                                      | 15 |
| III | 2027-28                                                                                                                                        | 20 |
| IV  | 2028-29 and onwards                                                                                                                            | 25 |
| B   | Category I rigid plastic packaging with volume of weight equal or more than 4.9 litres or kg.                                                  |    |
| I   | 2025 – 26                                                                                                                                      | 70 |
| II  | 2026 – 27                                                                                                                                      | 75 |
| III | 2027-28                                                                                                                                        | 80 |
| IV  | 2028-29 and onwards                                                                                                                            | 85 |

(III) The quantity of rigid packaging reused by brand Owner shall be calculated by reducing virgin plastic packaging manufactured/imported/purchased in that year from the sales of the Brand Owner. The brand owner shall provide this information on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(IV) The quantity of Category I rigid plastic packaging reused shall be reduced from the total plastic packaging used under Category I by the obligated entities (Brand Owners).

III. The quantity of Category I rigid plastic packaging reused during the year 2022 – 2023 and 2023-2024, shall be reduced from the total plastic packaging used under Category I.

**(c) Obligation for recycling (refer examples 1 to 3 in Annexure):**

The Brand Owner shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility target, category-wise, as given below.

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste  
(% of Extended Producer Responsibility Target)

| Plastic packaging category | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 and onwards |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| Category I                 | 50      | 60      | 70      | 80                  |
| Category II                | 30      | 40      | 50      | 60                  |
| Category III               | 30      | 40      | 50      | 60                  |
| Category IV                | 50      | 60      | 70      | 80                  |

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

**(d) End of life disposal (refer examples 1 to 3 in Annexure)**

(i) Only those plastics, which cannot be recycled will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil, as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress or Central Pollution Control Board from time to time.

(ii) The Brand Owner shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies specified in rule 5 (1) (b) of the Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended.

**(e) Obligation for use of recycled plastic content (refer examples 6 in Annexure)**

(i) The Brand Owner shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging, category-wise, as given below namely:

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of manufactured plastic for the year)

| Plastic packaging category | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 and onwards |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| Category I                 | 30      | 40      | 50      | 60                  |
| Category II                | 10      | 10      | 20      | 20                  |
| Category III               | 5       | 5       | 10      | 10                  |

(ii) In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory requirements, the exemption will be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis. However, in such cases, the Producers, Importers & Brand-Owners will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers & Brand-Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

(iii) In case, where Brand Owner is also Producer and/or Importer of plastic packaging material, the clause 7.2 and 7.3 shall also apply for determining their Extended Producer Responsibility targets and obligations as Producer and /or Importer, respectively.

(7.5) The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by all Producers, Importers & Brand-Owners as part of Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(7.6) The obligations for reuse, recycling of waste and use of recycled plastic content in packaging shall be reviewed every five years based upon available technologies for meeting the Targets specified.

(7.7) Extended Producer Responsibility on plastic packaging will promote sustainable packaging, as per guidelines prepared by Central Pollution Control Board, inter alia based on the following criteria,

(i) package designing promoting reuse;

(ii) package designing amenable for recycling;

(iii) recycled plastic content in plastic packaging material and; (iv) package designing for environment.

(7.8) In case, the obligated entity utilizes plastic packaging which is 100% biodegradable in the ambient environment leaving no traces of micro plastics or chemical residue or any other traces having adverse environmental and health impacts as certified by regulatory entities Central Pollution Control Board, Bureau of Indian Standards, Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology, the Extended Producer Responsibility target will not be applicable for such material.

## **8. Generation of surplus Extended Producer Responsibility certificates, carry forward and offsetting against previous year Extended Producer Responsibility targets and obligations, and sale and purchase of surplus Extended Producer Responsibility certificates:**

(8.1) A Brand Owner who has fulfilled their Extended Producer Responsibility targets, category-wise, can use the surplus for the following namely: -

(i) Off setting previous year shortfall subject to clause 9.5;

(ii) Carry forward for use in succeeding year;

(iii) Sell it to other Producers, Importers & Brand-Owners.

(8.2) Surplus in one category can only be used for off-setting, carry forward and sale in the same category. A surplus under reuse can be used for against reuse, recycling and also end of life disposal. A surplus under recycling can be used for recycling and end of life disposal. A surplus under end of life disposal cannot be used for reuse or recycle.

(8.3) Producers, Importers & Brand-Owners can also meet their Extended Producer Responsibility obligations under a category by purchasing surplus Extended Producer Responsibility certificates from other Producers, Importers & Brand-Owners of the same category.

(8.4) Such transactions shall be recorded and submitted by the Producers, Importers & Brand-Owners on the online portal while filing annual returns under the Extended Producer Responsibility framework. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized portal.

## **9. Imposition of Environmental Compensation:**

(9.1) Environmental Compensation shall be levied based upon polluter pays principle, with respect to non-fulfilment of Extended Producer Responsibility targets by Producers, Importers &

Brand Owners, for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environment pollution .

(9.2) Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environment compensation on Producers, Importers & Brand-Owners, recyclers and end of life processors, in case of non-fulfilment of obligations set out in these guidelines, and the same shall be notified. The Guidelines for Environmental Compensation shall be updated, as required.

(9.3) The Environment Compensation, as applicable, shall be levied by Central Pollution Control Board on the Producers, Importers & Brand-Owners operating in more than two states with respect to non-fulfilment of their Extended Producer Responsibility targets, responsibilities and obligations in these guidelines.

(9.4) The Environment Compensation, as applicable, shall be levied by respective State Pollution Control Board on the Producers, Importers & Brand-Owners operating in their jurisdiction (for Producers, Importers & Brand-Owners not operating in more than two states/Union Territory's), Plastic Waste Processors which includes recyclers and other waste processors – waste to energy, waste to oil, co-processors, with respect to non-fulfilment of their Extended Producer Responsibility targets or responsibilities and obligations set out under these guidelines. In case, the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee does not take action in reasonable time, the Central Pollution Control Board shall issue directions to the State Pollution Control Board /Pollution Control Committee.

(9.5) Payment of environmental compensation shall not absolve the Producers, Importers & Brand-Owners of the obligations set out in these guidelines. The unfulfilled Extended Producer Responsibility obligations for a particular year will be carried forward to the next year for a period of three years. In case, the shortfall of Extended Producer Responsibility obligation is addressed within three years. The environmental compensation levied shall be returned to the Producers, Importers & Brand-Owners as given below, namely

(i) Within one year of levying of EC: 75% return;

(ii) Within two years 60% return;

(iii) Within three years 40% return,

After completion of three years on environmental compensation getting due the entire environmental compensation amount shall be forfeited. This arrangement shall allow for collection and recycling of plastic packaging waste by Producers, Importers & Brand-Owners in later years as well.

(9.6) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate Escrow account by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee. The funds collected shall be utilized in collection, recycling and end of life disposal of uncollected and non-recycled or non- end of life disposal of plastic packaging waste, on which the environmental compensation is levied. Modalities for utilization of the funds for plastic waste management on an annual basis would be recommended by the Committee for Extended Producer Responsibility implementation and approved by the Competent Authority in the Ministry.

#### **10. Role of Producers, Importers & Brand-Owners:**

(10.1) The Producers, Importers & Brand-Owners shall have to register through the online centralized portal developed by Central Pollution Control Board. The certificate of registration shall be issued using the portal.

(10.2) Producers, Importers & Brand-Owners shall provide Action Plan containing information on the Extended Producer Responsibility Target, category-wise, where applicable, through the online centralized portal developed by Central Pollution Control Board, along with application for registration or renewal of registration under Plastic Waste Management Rules, 2016. The Action Plan shall cover tenure of the Registration as per the provisions of Plastic Waste Management Rules, 2016. The standard operating procedure for registration and the action plan pro forma shall be developed by Central Pollution Control Board as per these guidelines.

(10.3) Brand Owner covered under clause 4 (iii) shall provide details of plastic packaging purchased from Producers and/or Importers covered under clause 4 (i) and 4 (ii) separately. The quantities attributed to each Producer and Importer covered under clause 4 (i) and 4 (ii) obligated upon Brand Owner shall be deducted from the obligation of Producers and Importers. The record of such purchase including category-wise quantity purchased, shall be maintained separately by Brand Owner.

(10.4) The Producers and Importers covered under clauses 4 (i) and 4 (ii) will maintain the record of the quantity of plastic packaging material made available to Brand Owner covered under clause 4 (iii). The record of such sale including category-wise quantity sold, will be maintained separately by Producers and Importers. In case such records are not maintained, they will have to fulfil the complete Extended Producer Responsibility obligation. The online platform shall cross-check the declaration of transactions among Producers, Importers & Brand-Owners.

(10.5) In order to develop a separate waste stream for collection of plastic packaging waste for directly fulfilling Extended Producer Responsibility obligations, the Producers, Importers & Brand-Owners may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model. This will prevent mixing of plastic packaging waste with solid waste.

(10.6) The Producers, Importers & Brand-Owners shall file annual returns on the plastic packaging waste collected and processed towards fulfilling obligations under Extended Producer Responsibility with the Central Pollution Control Board or concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as per pro forma prescribed by Central Pollution Control Board by the 30<sup>th</sup> June of the next financial year. Information on the reuse and/or recycled content used for packaging purposes will also be provided. The details of the registered recyclers from whom the recycled plastic has been procured will also be provided.

### **11. Role of Plastic Waste Processors (Recyclers or Other Waste Processors including industrial composting facilities)**

(11.1) All plastic waste processors shall have to register with concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee in accordance with provision 13(3) of Plastic Waste Management Rules, 2016 on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board shall lay down uniform procedure for registration within three months of the publication of these guidelines.

(11.2) The Plastic waste processors shall submit annual returns after end of every financial year by 30th April of the next financial year on the quantity of plastic waste processed category-wise as per prescribed pro forma on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(11.3) The total quantity of plastic waste processed by plastic waste processors and attributed to Producers, Importers & Brand-Owners, on an annual basis, will be made available on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board as also on the website of Plastic waste processors.

(11.4) In case, at any stage it is found that the information provided by the plastic waste processor is false, the plastic waste processor shall be debarred by State Pollution Control Board, as per procedure laid down by Central Pollution Control Board, from operating under the Extended Producer Responsibility framework for a period of one year.

(11.5) Only plastic waste processors registered under Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended, shall provide certificates for plastic waste processing, except in case of use of plastic waste in road construction. In case where plastic waste is used in road construction the Producers, Importers & Brand-Owners shall provide a self-declaration certificate in pro forma developed by Central Pollution Control Board. The certificate provided by only registered plastic waste processors shall be considered for fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations by Producers, Importers & Brand-Owners.

(11.6) The pro forma for the certificate shall be developed by Central Pollution Control Board. In no case, the amount of plastic packaging waste recycled by the enterprise shall be more than installed capacity of the enterprise. The certificates will be for plastic packaging category-wise and shall include GST data of the enterprise.

(11.7) The certificate for plastic packaging waste provided by registered plastic waste processors shall be in the name of registered Producers, Importers & Brand-Owners or Local authorities, as applicable, based upon agreed modalities. Central Pollution Control Board will develop mechanism for issuance of such certificate on the centralized portal.

(11.8) The Plastic Waste Processors undertaking end-of-life disposal of plastic packaging waste viz. waste to energy, waste to oil, cement kilns (co processing) shall provide information on an annual basis as per prescribed pro forma, on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board. These entities shall ensure the disposal of plastic packaging waste as per relevant rules, guidelines framed by regulatory bodies in an environmentally sound manner.

### **12. Role of Central Pollution Control Board**

(12.1) The Central Pollution Control Board shall register Producers, Importers & Brand-Owners who are operating in more than two states and plastic waste processors, through online portal. Central Pollution Control Board shall prescribe the standard operating procedure for registration of Producers, Importers & Brand-Owners under Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12.2) The Central Pollution Control Board may charge fee for processing of applications for registration and an annual fee for processing of returns, as per procedure prescribed by CPCB. In case, where Producers, Importers & Brand-Owners, are operating in the jurisdiction of a State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, the Central Pollution Control Board as per guidelines so decided, will share the application fee with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.

(12.3) The registration shall be done within two weeks from the submission of a complete application online by the Producers, Importers & Brand-Owners. The tenure of registration shall be as per Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12.4) Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of Producers, Importers & Brand-Owners through inspection and periodic audit, as deemed appropriate. Central Pollution Control

Board, as required, can also verify compliance of Plastic Waste Processors through inspection and periodic audit. In case of plastic waste processors and Producers, Importers & Brand-Owners operating in a State or Union Territory, Central Pollution Control Board may, if required, direct State Pollution Control Board or Pollution Control Committee to take action.

(12.5) Central Pollution Control Board shall publish the list of Producers, Importers & Brand-Owners who have failed to meet Extended Producer Responsibility targets and obligations in the previous financial year, on an annual basis, by 30<sup>th</sup> September of the next financial year.

(12.6) The Central Pollution Control Board will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of extended producer responsibility obligations for plastics under the Plastic Waste Management Rule, 2016.

(12.7) The Central Pollution Control Board shall carry out a compositional survey of collected mixed municipal waste to determine the share of plastic waste as well as different categories of plastics packaging material on a half-yearly basis.

(12.8) The Central Pollution Control Board shall carry out review of technologies related to plastic packaging and plastic waste management for techno-economic viability and feasibility specifically with respect to clause 7.6.

### **13. Role of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee:**

(13.1) The concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall register Producers, Importers & Brand-Owners (operating in one or two states) and plastic waste processors, through the online portal developed by Central Pollution Control Board. Provision for registration shall be made on the Extended Producer Responsibility portal. State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by itself or through a designated agency shall verify compliance of Producers, Importers & Brand-Owners through inspection and periodic audit, as deemed appropriate, of Producers, Importers & Brand-Owners as well as plastic waste processors in their jurisdiction as per the Plastic Waste Management Rule, 2016.

(13.2) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall bring out a list of entities (Exception Report) who have not fulfilled their Extended Producer Responsibility responsibilities on annual basis and publish the same on their website. The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall submit the Annual Reports submitted by Producers, Importers & Brand-Owners and plastic waste processors in their jurisdiction to Central Pollution Control Board and upload the same on the online Extended Producer Responsibility portal.

(13.3) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of extended producer responsibility obligations under the Plastic Waste Management Rule, 2016.

(13.4) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall carry out a compositional survey of collected mixed municipal waste to determine the share of plastic waste as well as different categories of plastics packaging material on a half-yearly basis.

### **14. Plastic Packaging Waste Collection System by Producers, Importers & Brand-Owners**

(14.1) Producers, Importers & Brand-Owners while fulfilling their Extended Producer Responsibility obligations may develop collection and segregation infrastructure of plastic packaging waste, as required, based on the category of plastics. It may include the following based on implementation modality of Extended Producer Responsibility adopted by Producers, Importers & Brand-Owners: -(a) establish waste plastic collection points and Material Recovery Facilities (MRFs);

(b) ensure the collection of the plastic packaging waste from the collection points, with a frequency that is proportionate to the area covered and the volume;

(c) offer the collection of plastic, from the entities like urban local bodies, gram panchayats, other public authorities or third parties carrying out waste management, and provide for the collection from all entities that have made use of that offer; provide for the necessary practical arrangements for collection and transport;

(d) ensure that the plastic packaging waste collected from the collection points are subsequently subject to recycling in a registered facility by a recycler or its permitted end use in the designated manner.

(14.2) Producers, Importers & Brand-Owners may ensure the network of collection points taking into account population size, expected volume of plastic or packaging waste, accessibility and vicinity to end-users, not being limited to areas where the collection and subsequent management is profitable.

(14.3) The entities involved in waste collection will hand over the waste for treatment and recycling or for identified end uses.

(14.4) Participation of voluntary collection points - voluntary collection points will hand over plastic packaging waste to the Producers, Importers & Brand-Owners or third party agencies acting on their behalf with a view to their treatment and recycling or their identified end use.

### **15. Fulfilment of Extended Producer Responsibility Obligations**

The Producers, Importers & Brand-Owners shall have to provide the details of recycling certificate only from registered recyclers along with the details of quantity sent for end of life disposal, by 30th June of next financial year while filing annual returns on the online portal. The details provided by Producers, Importers & Brand-Owners and registered plastic waste processors will be cross-checked by the online portal. In case of difference, the lower figure would be considered towards fulfilment of Extended Producer Responsibility obligation of Producers, Importers & Brand-Owners. The certificates shall be subject to verification by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be.

### **16. Centralized Online Portal**

(16.1) Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration as well as for filing of annual returns by Producers, Importers & Brand-Owners, plastic waste processors of plastic packaging waste by 31<sup>st</sup> March 2022:-

(16.2) The online system developed by Central Pollution Control Board for the registration as well as for filing of returns by Producers, Importers & Brand-Owners shall reflect the plastic packaging material introduced in the market Producers, Importers & Brand-Owners in a financial year. It shall also reflect the details regarding the audit of the Producers, Importers & Brand-Owners as well as recyclers or other waste processors of plastic packaging waste.

(16.3) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall also use the centralized portal developed by Central Pollution Control Board for registration of Producers, Importers & Brand-Owners as well as recyclers/waste processors. The centralized portal would act as the single point data repository with respect to orders and guidelines related to implementation of Extended Producer Responsibility for plastic packaging under Plastic Waste Management Rule, 2016 Producers, Importers & Brand-Owners may, if they so desire, facilitate the development of online web portal or platform.

(16.3) Till the online web portal is developed all activities related to implementation of Extended Producer Responsibility under the Plastic Waste Management Rules, 2016 will be done in an offline manner.

### **17. Monitoring**

State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall submit annual report on Extended Producer Responsibility portal with respect to fulfilment of Extended Producer Responsibility by Producers, Importers & Brand-Owners (which include manufacturers of plastic packaging material) and plastic waste processors in the State/Union Territory to Central Pollution Control Board. The report shall also be submitted to the State Level Monitoring Committee constituted under the Plastic Waste Management Rules, 2016. State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall also submit annual report with respect to recyclers or end of life disposal in the State or Union Territory to Central Pollution Control Board by 31<sup>st</sup> July of the next year.

### **18. Committee for Extended Producer Responsibility under PWM Rules**

(18.1) A committee shall be constituted by the Central Pollution Control Board under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for effective implementation of Extended Producer Responsibility including amendments to Extended Producer Responsibility guidelines. The committee shall monitor the implementations of Extended Producer Responsibility and also take such measures as required for removal of difficulties. The Committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the online portal including approval of requisite forms or pro forma.

(18.2) The committee shall comprise of representative from concerned line Ministries/Departments such as Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Department of Drinking Water and Sanitation, Department of Chemical and Petrochemicals; Bureau of Indian Standards, three State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET), National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), and three industry associations, and any other invitee as decided by the chairperson of the committee.

## **ANNEXURE**

### **Examples for Clause 7**

#### **Extended Producer Responsibility Target and Minimum level of recycling of plastic packaging waste**

**[Refer Clause 7.2 (a), (b) & (c), Clause 7.3 (a), (b) & (c), and Clause 7.4 (a), (b) & (c)]**

**Example 1:**

| Year 2022-23                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plastic packaging introduced in the market category-wise<br>(Category II Flexible plastic packaging)                                      | 100 MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Extended Producer Responsibility Target @ 70 %                                                                                            | 70 MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility - no threshold has been prescribed | Quantity of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility and recycled as per actuals<br><br>Quantity of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility and used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc. as per actuals |

**Example 2:**

| Year 2024-25                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plastic packaging introduced in the market category-wise<br>(Category II Flexible plastic packaging)         | 100 MT                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Extended Producer Responsibility Target @ 100 %                                                              | 100 MT                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility @ 30% | Minimum 30 MT of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility needs to be recycled.<br>Remaining plastic packaging waste collected (Maximum 70 MT) may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc. |

**Example 3:**

| Year 2028-29                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plastic packaging introduced in the market category-wise<br>(Category II Flexible plastic packaging)          | 100 MT                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Extended Producer Responsibility Target @ 100 %                                                               | 100 MT                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility @ 60 % | Minimum 60 MT of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility needs to be recycled.<br>Remaining plastic packaging waste collected (Maximum 40 MT) may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc. |

**Reuse****[Refer Clause 7.4 (b)]****Example 4:**

| Year 2025 – 26 (Minimum obligation for reuse comes into effect)                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Plastic packaging introduced in the market category-wise<br>(Category I Rigid Plastic Packaging)   | 100 MT |
| Reuse of Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 litres or | 15 MT  |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kilogrammes bUnion Territory less than 4.9 litres or kilogrammes                                                        | (Reuse @ 15 %; minimum obligation for reuse 10 %)                                                                                                                                                                                                            |
| Fresh plastic packaging introduced (A)                                                                                  | 85 MT                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Extended Producer Responsibility target for compliance @ 100% of (A)                                                    | 85 MT                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimum level of recycling of Category I plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility @ 60% | Minimum 51 MT of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility needs to be recycled.<br>A maximum of 34 MT plastic packaging waste collected may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc. |

**Example 5:**

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>For Year 2022 - 23</b>                                                                                                                                           |         |
| Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category I Rigid Plastic Packaging)                                                                       | 100 MT  |
| Reuse of Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 litres or kilogrammes bUnion Territory less than 4.9 litres or kilogrammes | 10 MT   |
| Fresh plastic packaging introduced (A)                                                                                                                              | 90 MT   |
| Extended Producer Responsibility Target @ 35 % of (A)                                                                                                               | 31.5 MT |

**Use of recycled plastic content****[Refer Clause 7.2 (d), 7.3 (d)]****Example 6:**

|                                                                                                   |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Year 2025-26</b>                                                                               |                                                                                                                      |
| Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging) | 100 MT                                                                                                               |
| Extended Producer Responsibility Target as per clause 5.1 @ 100 %                                 | 100 MT                                                                                                               |
| Minimum content of recycled plastic in packaging @ 10%                                            | 10 MT of plastic content in the packaging should be recycled plastic<br>90 MT of virgin plastic content in packaging |

[F. No. 17/2/2001 – Part I - HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 320 (E) dated the 18<sup>th</sup> March, 2016 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R 285 (E) dated the 27<sup>th</sup> March, 2018, G.S.R. 571 (E) dated the 12<sup>th</sup> August, 2021 and G.S.R. 647 (E) dated the 17<sup>th</sup> September, 2021.